केन्द्रीय विद्यालय संगठन
Kendriya Vidyalaya Sangathan
18 संस्थानिक क्षेत्र
18 Institutional Area,
शहीद जीत सिंह मार्ग
Shaheed Jeet Singh Marg
नई दिल्ली – 110016
New Delhi – 110016
Tele.011-26858570/26514179(Fax)
Website: www.kvsangathan.nic.in

फा.11029/2016/केविसं(मु.)/स्था-II/टीपी

दिनांक: 03.11.2016

सेवा में

प्राचार्य
समस्त केन्द्रीय विद्यालय

विषय: वर्ष 2016-17 के लिए वार्षिक स्थानांतरणों का समापन एवं तत्संबंधी निर्देशों का अनुपालन।

महोदय/ महोदया,

संगठन अपने शिक्षकों एवं कार्मिकों की समस्याओं तथा हितों के प्रति सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ संवेदनशील है इसलिए वर्ष 2016-17 में स्थानांतरण दिशानिर्देशों (Transfer Guidelines) में व्यापक परिवर्तन करते हुए अनेक प्रगतिशील विषयों को इसमे सम्मिलित किया गया है। यह सर्वविदित है कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों के हितों को संरक्षण प्रदान करना तथा स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिकाधिक पारदर्शितापूर्ण व सूचना तकनीकी आधारित बनाना था।

यह प्रसन्नता का विषय है कि संगठन द्वारा शिक्षकों एवं कार्मिकों के वार्षिक स्थानांतरण वर्ष 2016 में पहली बार ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा सम्पादित किए गए।

इस वर्ष ऑनलाईन वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत **7108** शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कार्मिकों के स्थानांतरण किए गए जिसमें से **6000** शिक्षकों एवं कार्मिकों के स्थानांतरण **इच्छित स्थान (**Choice Station) पर किए गए हैं जो कुल स्थानांतरणों का लगभग **84.4%** है। 40 वर्ष से कम आयु के **549** शिक्षकों के दुर्गम/ अति दुर्गम/ पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण किए गए हैं। दुर्गम/ अति दुर्गम/ पूर्वोत्तर क्षेत्र व स्थानांतरण हेतु प्रथम वरीयता प्राप्त श्रेणी के **559** शिक्षकों एवं कार्मिकों को इच्छित स्थान पर पदस्थापित करने के लिए जिन शिक्षकों एवं कार्मिकों का विस्थापन के आधार पर स्थानांतरण किया गया उन्हे भी उनके इच्छित स्थान पर पदस्थापित करने का भरसक प्रयास किया गया है।

वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया 2016 का दिनांक **30-09-2016** को समापन हो चुका है इसकी सूचना केविसं (मु.) द्वारा जारी की जा चुकी है। इसके उपरान्त केवल अपवादस्वरूप परिस्थितियों में उपलब्ध रिक्त स्थानों पर केवल पारिवारिक सदस्य की मृत्यु, कार्मिक के स्वयं के चिकित्सकीय आधार पर व संगठन के किसी कार्मिक की पत्नी अथवा पति का स्थानांतरण तथा संगठन में उस स्थान पर रिक्ति होने जैसे मामलों में स्थानांतरण हेतु विचार किया जाएगा। **किन्तु, यह देखने मे आया है कि कुछ शिक्षक एवं कार्मिक जनप्रतिनिधियो एवं विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से अपने स्थानांतरण हेतु संगठन मुख्यालय को संस्तुति/ सिफारिश प्रेषित करवा रहे हैं। इस प्रकार का कृत्य एक सुस्थापित, स्वस्थ व सर्वसुलभ प्रक्रिया का उल्लंघन ही नहीं है, अपितु सरकारी कार्मिकों की आचरण नियमावली के भी विरुद्ध है। इस प्रकार के मामलों को संगठन अत्यन्त गंभीरता से ले रहा है।**

संगठन द्वारा पहली बार वार्षिक स्थानांतरण प्रक्रिया को ऑनलाईन माध्यम से क्रियान्वित किया गया इसलिए उपरोक्त मामलों में अनुशासनात्मक कार्रवाई करने मे रियायत बरती गई है। किन्तु इसके पश्चात भी यदि कोई कर्मी बारम्बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध निश्चित रुप से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के समस्त अधिकारियों, शिक्षकों एवं कार्मिकों से अनुरोध है कि एक ईमानदार व निष्ठावान सदस्य के रुप मे संगठन को नई ऊँचाईयों तक पहुँचाने के लिए समर्पित भाव से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।

कृपया उपरोक्त विषय को समस्त शिक्षकों एवं कार्मिकों के संज्ञान मे अनिवार्य रुप से लाया जाए और कृत कार्रवाई की आख्या 15 दिन के भीतर अपने क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करें।

भवदीय

संतोष 3/11/16

संतोष कुमार मल्ल
आयुक्त

प्रतिलिपिः
उपायुक्त, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, केविसं व निदेशक, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान- को अनुपालनार्थ प्रेषित।